तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् 104, महात्मा गाँधी मार्ग पर दिनांक 24-3-81 को
-30 बजे पूर्वान्ह में हुई उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् की वर्ष 1981 की
ीय बैठक का कार्यवृत्त।

त उपस्थित थे:-

| | | |
|---|---|---|
| श्री बी0जे0 खोदायजी | | अध्यक्ष |
| श्री दयानन्द व्यास | सदस्य, विधान परिषद् | सदस्य |
| श्री जे0पी0 दुबे | मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक | सदस्य |
| श्री भगवती प्रसाद वर्मा | प्रबन्ध निदेशक जल निगम | सदस्य |
| ) श्री दुर्गा बहादुर श्रीवास्तव | उप सचिव, वित्त विभाग | सदस्य |
| ) श्री शशि कान्त जैन | अनु सचिव, स्वायत्त शासन | सदस्य |
| 7) श्री कमल पाण्डे | आवास आयुक्त | सदस्य |

बैठक की कार्यवाही पर विचार-विमर्श के उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-

| क्र0सं0 | विषय | संकल्प सं0 | निर्णय |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1) | दिनांक 12-2-81 को परिषद् मुख्यालय पर हुई बैठक के कार्य-वृत्त की पुष्टि। | II/(1)/81 | परिषद् के कार्यवृत्त के मद संख्या-4 के निर्णय में निम्नलिखित जोड़ते हुये पुष्टि की गई:- '' 0.25% कमिटमेंट चार्जेज भी लिये जायें। |
| | परिषद् की बैठक दिनांक 12-2-81 के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या। | II/(2)/81 | परिषद् द्वारा दिनांक 12-2-81 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया और निम्नलिखित निर्देश दिये गये:- 1- वाहनों को क्रय करने के संबंध में शासन स्तर पर शीघ्रता करायी जाय तथा शासन के आवास विभाग से निवेदन किया जाय कि वाहन क्रय करने के संबंध में सार्वजनिक उपक्रमों के संबंध में अलग से नीति बनाकर संशोधित आदेश जारी किये जाय जिससे कि वाहनों के आभाव में कार्यों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। 2- सहायक निदेशक (प्रचार) के पद के संबंध में उपसमिति की संस्तुतियाँ परिषद् की अगली बैठक में अवश्य प्रस्तुत की जायं। 3- विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारियों के पदों के के सृजन के संबंध में आवास सचिव के स्तर पर एक बैठक तुरन्त करायी जाय। 4- मुरादाबाद में परिषद् द्वारा निर्मित विभिन्न आय वर्ग के भवनों में पुलिस, सी0आर0पी0 एवं पी0ए0सी0 द्वारा अनाधिकृत अध्यासन के संबंध में परिषद् ने पिछली बैठक में लिये गये निर्णय की पुष्टि की और आग्रह किया कि इस मामले को शासन स्तर पर उठाया जाय। 5- राम सागर मिश्र नगर के 80 मध्यम आय वर्ग एम0ए0-75 प्रकार के भवनों के प्राविधिक सम्परीक्षण के संबंध में सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग के स्तर पर एक बैठक शीघ्र करायी जाय और ऐसा करने के लिये एक निश्चित अवधि भी निर्धारित की जाय। 6- वर्क साइट रजिस्टर यथाशीघ्र खुलवाया जाय। 7- कालोनीज के रख-रखाव के लिये सचिव, स्वायत्त शासन के स्तर पर एक बैठक पुनः करायी जाय तथा भविष्य में जो आवासीय कालोनियाँ नगरपालिका की सीमा अथवा उसके बाहर बनायी जा रही है अथवा बनायी जायेंगी उनके सम्बन्ध में भी आवास एवं विकास परिषद् के अधिनियम के प्राविधनों के अन्तर्गत सम्पूर्ण सूचना |

| | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | | स्वायत्त शासन विभाग को उपलब्ध करा दी जाय जिससे कि कालोनीज के बनाये जाने पर उनके हस्तान्तरण की समस्या उत्पन्न न हो। |
| | | | 8- परिषद के लेखों का कम्प्यूटराईजेशन कराने के लिये 'स्टडी ग्रुप' की संस्तुतियाँ अगली बैठक में अवश्य प्रस्तुत की जाय। |
| | | | 9- 'कारपोरेट प्लान' परिषद की अगली बैठक में अवश्य प्रस्तुत हो। |
| | | | 10- आगरा की कमलानगर आवास योजना में ग्राम लश्कर पुर में स्थित करबला कमेटी द्वारा मांगी जा रही 9 एकड़ भूमि के मामले में माननीय आवास मंत्री जी की अध्यक्षता में एक बैठक करायी जाय। इस बैठक के लिये एक back ground नोट भी तैयार कर लिया जाय और यह भी निश्चित हो कि किस-किस को आमंत्रित करना है। |
| | | | 11- परिषद की सिविल लाइन्स भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, बरेली के विकास कार्यों के प्राक्कलन की स्वीकृति के संबंध में मुख्य अभियन्ता की रिपोर्ट अगली बैठक में अवश्य प्रस्तुत की जाय। |
| | | | 12- उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद रेगुलेशन फार दी ग्रान्ट आफ हउस बिल्डिंग एडवान्स टू दि इम्पलाइज आफ दि परिषद 1973 के संबंध में गाइड लाइन्स परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत की जाय। |
| | | | 13- परिषद द्वारा विभिन्न शहरों में निर्मित आवासीय भवनों में से कुछ प्रतिशत भवन जरूरतमन्द लोगों को तुरन्त आवंटित करने हेतु आवास आयुक्त को अधिकृत करने के संबंध में परिषद सदस्य श्री दयानन्द व्यास ने कहा कि सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो के निर्देश परिषद पर बाइन्डिंग नही होने चाहिये, इस पर शासन के आदेश प्राप्त किये जायें। |
| | | | 14- भीम ताल भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, भीमताल के संबंध में जल सम्पूर्ति के लिये सिंचाई विभाग से सम्पर्क स्थापित करें जिससे कि योजना का कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व जल सम्पूर्ति की समस्या का समाधान हो सके। |
| | | | 15- रिवालविंग फन्ड के संबंध में गठित उप-समिति में वित्त विभाग के प्रतिनिधि के रूप में विभाग के उप सचिव श्री दुबे को पत्र भेजा जाय। |
| | | | 16- परिषद की गत बैठक के कार्यवृत्त के मद संख्या-52 पर परिषद अधिनियम में संशोधन के संबंध में शासन स्तर पर अग्रेतर कार्यवाही सुनिनिश्चित की जाय। |
| | | | 17- परिषद के मध्यम आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग भवन निर्माण योजना केअन्तर्गत विनियमावली में प्रयुक्त भूमि का तात्पर्य 'क्षेत्र' से लिये जाने के संबंध में जीवन बीमा निगम आदि से जानकारी प्राप्त कर परिषद को अगली बैठक में अवगत कराया जाय। |
| ) | वर्ष 80-81 का पुनरीक्षित एवं 81-82 का आय-व्ययक | 11/(3)/81 | परिषद ने सर्वसम्मति से बजट के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया। |

——3

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | परिषद् योजनाओं में विदेशी मुद्रा देने वालों के लिये भवन/भूखण्डों का आरक्षण।<br>/वालों को भी वरीयता प्रदान करते हुए | 11/(4)/81 | परिषद् ने निर्देश दिये कि विदेशी मुद्रा के संबंध में पूर्ण टिप्पणी के साथ विस्तृत सुझाव परिषद् के समक्ष उनकी अगली बैठक में लाया जाय। फिलहाल मध्यम आय वर्ग एवं उच्च आय वर्ग में 25 प्रतिशत तक भवन की सम्पत्ति भूखण्डों को सम्मिलित करते हुए x एक मुश्त भुगतान करने वालों के लिये आरक्षित कर ली जाय तथा इस सम्पत्ति में विदेशी मुद्रा में भवन लेने/प्रदेशन हेतु रखा जाय। |
| | उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् भूखण्डों तथा भवनों के पंजीकरण एवं प्रदेशन संबंधी विनियम 1979 के विनियम-11 एवं 46 में संशोधन का प्रस्ताव। | 11/(5)/81 | परिषद् ने इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया। |
| ) | परिषद् द्वारा निर्मित भवनों/भूखण्डों के प्रदेशन में आरक्षण वर्ग के अन्तर्गत आने वाले इच्छुक क्रेताओं को लाटरी ड्रा में सम्मिलित किया जाना। | 11/(6)/81 | परिषद् ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया। |
| | परिषद् द्वारा प्रदिष्टसम्पत्ति के अन्तरण के संबंध में। | 11/(7)/81 | परिषद् ने इस प्रस्ताव पर सर्व-सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया तथा इस प्रस्ताव के साथ संलग्न गाइड लाइन्स का भी अनुमोदन किया। |
| | निर्माण कार्य की समीक्षा (28 फरवरी, 1981 तक) | 11/(8)/81 | दिनांक 23-3-81 को परिषद् की उपसमिति ने निर्माण कार्यों की समीक्षा की। इस समीक्षा में निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार कर निर्देश दिये गये:-<br>1- निम्नलिखित 16 नगरों के प्रस्ताव परिषद् के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित करने हेतु दिनांक 6-12-80 तथा 11-2-81 को उत्तर प्रदेश शासन को प्रस्ताव भेजे गये:-<br>1- गाजियाबाद<br>2- ललित पुर<br>3- टांडा<br>4- नजीबाबाद<br>5- नगीना<br>6- बलराम पुर<br>7- सिकंदराबाद<br>8- कन्नौज<br>9- मऊरानीपुर<br>10- कोंच<br>11- कैराना<br>12- चांद पुर<br>13- तिलहर<br>14- आंवला<br>15- संडीला<br>16- बहेड़ी<br>शासन स्तर पर शीघ्र आदेश जारी करने के लिये संबंधित उप सचिव से सम्पर्क स्थापित कर अग्रेतर कार्यवाही करायी जाय।<br>2- रानी खेत में भूमि प्राप्त करने के लिये अध्यक्ष तथा आवास आयुक्त की ओर से व्यक्तिगत प्रयास किये जायें। रानीखेत थिल एरिया कमाण्डर से बात-चीत की जाय और माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर से केन्द्रीय रक्षा राज्य मंत्री जी को पत्र xxx लिखा जाय तथा आवास सचिव की ओर से रक्षा सचिव, भारत सरकार को भी पत्र भेजा जाय।<br>दिलकुशा कालोनी में रक्षा विभाग से भूमि प्राप्त करने के लिये मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन स्तर पर एक बैठक आयोजित करायी जाय। |

————4

2 3 4

3- मसूरी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ तथा हमीरपुर नगरों में भूमि चयन के लिये 2 सर्वे दो टीमें बताई जायें तथा यह कार्य अप्रैल 1981 तक समाप्त कर दिया जाय। इसी प्रकार तराई क्षेत्र में स्थित बदौनी, नोगढ़, नौतनवा, तथा अन्य सभी तराई क्षेत्र के नगरों में भी सर्वे टीमों द्वारा जून के अन्त तक स्थल चयन करने का प्रयास किया जाय।

4- देवबन गोपेश्वर तथा गोलाकर्णनाथ नगरों के धारा-28 के प्रस्ताव परिषद् की अगली बैठक में प्रस्तुत किये जायं।

भूमि अध्याप्ति

उप समिति ने वर्ष 1980-81 में भूमि अध्याप्ति कार्यों की समीक्षा की। वर्ष 1980-81 में 5000 एकड़ भूमि प्राप्त करने का लक्ष्य था जिसके विरुद्ध 1100 एकड़ भूमि पर कब्जा 31-3-1981 तक प्राप्त किया जायेगा कानपुर आगरा, लखनऊ तथा वाराणसी महानगरियों में 3245 एकड़ भूमि पर शीघ्र अर्जन कार्यवाही करने के लिये शासन से धारा 7/17 के आदेश जारी करवाये गये जिसके फलस्वरूप आगामी 4 महीनों में इन महानगरियों में कब्जा प्राप्त करने का निम्नलिखित कार्यक्रम बनाया गया:-

| नाम | माह अप्रैल-जुलाई 81 तक प्रत्याशित (एकड़ में) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | अप्रैल, 81 | मई, 81 | जून, 81 | जुलाई, 81 |
| पुर | 300 | - - - | 300 | 100 |
| गरा | 165 | 400 | 400 | - - |
| नऊ | - - | 750 | - - | 375 |
| राणसी | - - | - - | 455 | - - |
| ल योग | 465 | 1150 | 1155 | 475 |

2- महानगरियों में भूमि का कब्जा प्राप्त करने के लिये विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी को सहायता के लिये अतिरिक्त स्टाफ आवश्यकतानुसार लगाया जाय।

3- वर्ष 1981-82 के लिये 5000 एकड़ भूमि अध्याप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

4- छोटे नगरों में जहां भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही अन्तिम दौर में है तथा जहां पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या अधिक है वहां भी विशेष प्रयत्न से भूमि पर कब्जा प्राप्त किया जाय।

भूमि विकास कार्य

1- वर्ष 1980-81 का 612 एकड़ का पुनरीक्षित लक्ष्य 31-3-81 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

2- वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये 1000 एकड़ भूमि विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

5

2 3 4

3- धारा-3। से संबंधित प्रस्ताव के लिये संबंधित निकायों, जल संस्थानों, विद्युत परिषद् जल निगम आदि विभागों को योजना का प्रारम्भ बताते हुये पेयजल, सीवर एवं विद्युत की सूचना भेज दी जाय। मुख्यालय पर इस कार्य की ओर अच्छे तरीके से समन्वय किया जाय जिससे कि योजनाओं की समाप्ति पर इन विषयों के संबंध में बाधायें उत्पन्न न हों।

भवन निर्माण एवं भूखण्ड

1- परिषद् द्वारा अब पुनरीक्षित 10700 भवन तथा 3500 भूखण्डों की पूर्ति 31-3-81 तक हो जाने की संभावना है।

2- वर्ष 1981-82 के लिये उपसमिति ने 16000 भवन एवं 4000 भूखण्ड का लक्ष्य निर्धारित किया। इस वर्ष 56000 मीट्रिक टन सीमेंट की मांग के विरुद्ध शासन द्वारा 32500मीट्रिक टन सीमेंट का ही आवंटन हुआ। इस आवंटित मात्रा में 18170 मीट्रिक टन सीमेंट प्राप्त हो सकी है। शेषसीमेंट को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। सीमेंट को आयातित करने का प्रयास उत्तर प्रदेश निर्माण निगम के साथ मिल कर किया गया था किन्तु इस सीमेंट के प्राप्त होने की संभावना नहीं है।

3- परिषद् को कोयले के 2 रेक्स का आवंटन किया गया है किन्तु रेलवे वेगन न मिलने कारण अभी तक कोयला प्राप्त नहीं हो सका है। इस संबंध में माननीय आवास मंत्री जी की ओर से रेल मंत्री जीभारत सरकार को एक पत्र भी भेजा गया है।

4- परिषद् द्वारा 'लाइम पोजोलोना प्लांट' स्थापित करने के संबंध में अभी हाल ही में हडको के मैटीरियल मैनेजर श्री सूरज जे0 वहादुर लखनऊ आये थे तथा इस संबंध में परिषद एवं उत्तर प्रदेश सीमेंट कारपोरेशन के अधिकारियों से वार्ता की थी। उन्होंने सुझाव दिया है कि परिषद् द्वारा उत्तर प्रदेश सीमेंट कारपोरेशन के साथ मिलकर मिर्जापुर जिले में सीमेंटस प्लान्ट के समीप एक हाईड्रेटिड लाइम की फैक्ट्री स्थापित की जाय। इस प्रस्ताव पर अभी विचार किया जा रहा है।

5- स्टील अथारिटी आफ इंडिया को 2 रेक्स लोहे के स्लेब की आपूर्ति का आदेश दिया गया था। भारत सरकार द्वारा हालही में लोहे की दरों में वृद्धि कर दिये जाने के फलस्वरूप ''सेल'' ने अतिरिक्त मूल्य के भुगतान हेतु सहमति मांगी है। इस संबंध में विचार किया जा रहा है। प्राइवेट कमीशन एजेन्ट के माध्यम से मेन प्रोड्यूसर से सीधे लोहा प्राप्त करने के संबंध में शासन की अनुमति मांगी गई है।

6- लकड़ी की 'सेकेण्डरीसेसीजं' तथा 'सीजनिंग-प्लान्ट' तथा प्राइवेट इण्टरप्रिनर को आदेश देने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है।

7- 'विटुमिन' की उपलब्धता के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्राथमिकता प्राप्त करने के लिये सम्पर्क स्थापित किया गया एवं इसे प्राप्त किया जा रहा है। प्राथमिकता प्राप्त होने पर विटुमिन शीघ्र प्राप्त होने की संभावना है।

———6

| 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|

क्वालिटी कन्ट्रोल

मुख्यालय पर लेब स्थापित किये जा चुके हैं। अधिकांश योजनाओं में योजना स्थल पर भी इस तरह के छोटे लेब बनाये जा चुके हैं। इस का व्यापक प्रचार करवाया जाय तथा जन साधारण को यह अवगत कराया जाय कि क्वालिटी कन्ट्रोल के लिये परिषद् द्वारा क्या-क्या कदम उठाये जा चुके हैं।

परिषद् ने निर्देश दिये कि सभी अधिकारियों को ~~fix~~ निदेश दिये जायें कि परिषद् उत्कृष्ट Quality कार्य की उम्मीद करती है और किसी भी हालत में कार्य में अवरताओं को ग्रहण नहीं करेगी। परिषद् ने चाहा कि प्रत्येक त्रैमास के अंत में रिपोर्ट प्रस्तुत हो कि गुण नियंत्रण कोष्ठ ने इसे सुनिश्चित करने के लिये क्या-क्या किया है।

परिषद् ने उपसमिति के निर्णयों पर अनुमोदन प्रदान किया।

पुष्टि की गई

अध्यक्ष

10.8.81